उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-1/2018/आडिट-1-404/दस-2018-308(3)/15 टीसी-2
लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2018

<u>विज्ञप्ति/प्रोन्नति/नियुक्ति</u>

श्री राज्यपाल, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रू0 47,600 से 1,51,100/-) को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रू0 56,100 से 1,77,500/-) पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में उल्लिखित जनपद/स्थान पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त/तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र0	अधिकारी का नाम	गृह जनपद	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती
1	2	3	4	5
1.	प्रेम चन्द्र सरोज	इलाहाबाद	भदोही	चन्दौली
2.	अर्जुन कुमार	आजमगढ़	बलिया	अम्बेडकर नगर
3.	दया नन्द	हरदोई	पीलीभीत	सीतापुर
4.	अवधेश कुमार तिवारी	बलिया	वाराणसी	गाजीपुर
5.	प्रभुनाथ गुप्ता	गोरखपुर	महराजगंज	सिद्धार्थनगर
6.	देवेन्द्र पाल सिंह	बस्ती	सिद्धार्थनगर	बलरामपुर
7.	अमरेश बहादुर यादव	जौनपुर	इलाहाबाद	प्रतापगढ़
8.	राघवेन्द्र सिंह	आजमगढ़	गाजीपुर	बलिया
9.	श्रीशचन्द्र मिश्र	गाजीपुर	शाहजहांपुर	बदायूं
10.	सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	सुलतानपुर	लखनऊ	अमेठी
11.	जगदीश सिंह	हमीरपुर	जालौन	महोबा
12.	विजय कुमार श्रीवास्तव	आजमगढ़	गोरखपुर	महराजगंज
13.	बलराम त्रिपाठी	जौनपुर	इलाहाबाद	इलाहाबाद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14.	सूबा लाल पाण्डेय	इलाहाबाद	लखनऊ	कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी लखनऊ (मुख्यालय)
15.	जितेन्द्र कुमार	लखनऊ	लखनऊ	बाराबंकी

2- उक्त अधिकारियों को प्रोन्नत के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 (यथासंशोधित 2016) के अनुसार विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-1/2018/आडिट-1-404(1)/दस-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-52(1)/12/पी/एस-5/2017-18, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
7- निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।